न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी – 5543/2018/सतना/भू.रा.

राजस्व निगरानी क0–................... / 2018

1– अर्चना समदरिया पत्नी श्री राजमन समदरिया उम्र 35वर्ष निवासी समदरियान टोला उचेहरा जिला सतना म0प्र0

2– प्रतिभा गौतम पत्नी श्री रोशन गौतम उम्र 32वर्ष निवासी धवारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..................................निगराकार

बनाम

1– संजय शर्मा तनय रामकृष्ण शर्मा

2– शशिकान्त शर्मा तनय रामकृष्ण शर्मा दोनो निवासी दुर्गा मंदिर के पास प्रेमनगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

3– शासन म0प्र0..गैरनिगराकारगण

आज दि. 11/9/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 11-9-18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सोहावल (रैगांव) तहसील रघुराजनगर के रा0प्र0क0–64अ12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2018

मान्यवर,

Copy Received 24-9-18

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैं:–

यह कि निगराकार मूल भूमिस्वामी कमलकिशोर भगवान सिंह द्वारा अपनी आराजी सत्यवती अवस्थी को 1 एकड़ 60 डिसमिल आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.04.2009 को विकय पत्र में उल्लिखित चौहद्दी अनुसार विकीत किया जाकर कब्जा दखल दिया गया और सत्यवती अवस्थी द्वारा उसी आराजी के रकवे का अंश भाग मनोज श्रीवास्तव को 120बाई250 वर्गफिट यानी 68 डिस0 मुताबिक चौहद्दी विकित की गई जिसमें मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्लाट निर्मित किये गये और प्लाट के रूप में दिनांक 16.09.2013 को 3600 वर्गफिट का प्लाट मुताबिक चौहद्दी विकित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–5543 / 2018 / सतना / भू.रा.

अर्चना समदरिया व अन्य विरूद्ध संजय शर्मा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सोहावल(रैगांव), तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 64 / अ–12 / 2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–07–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांक़न आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 5/3/19	